


कार्यालय आदेश संख्या -18/18

इस कार्यालय के का.आ.सं.09/18 पृष्ठांकन सं.समसंख्यक दिनांक-16.01.18 द्वारा श्री चन्द्रिका प्रसाद हमाल पडरौना जिन्हें मवाप्र/वाराणसी के एन.आई.पी.संख्या-गो/मरेप्र/वा/26/2015/अना.अनु. दिनांक-13.07.17 के द्वारा तत्काल प्रभाव से रेल सेवा से हटाये जाने(Remove From Service) का दण्ड आरोपित किया गया था को कर्मचारी के अपील पर मवाप्र/वाराणसी महोदय द्वारा जारी एन.आई.पी.संख्या-गो/मरेप्र/वा/26/2015/अना.अनु. दिनांक-15.01.18 द्वारा अधिरोपित दण्ड( Remove From Service) को कम करते हुए इसके स्थान पर इनका मूल वेतन रु.32000/- (लेवल-3) से घटाकर उसी लेवल में न्यूनतम वेतन रु.21700/- पर दो वर्षों के लिये अस्थाई रूप से निर्धारित करते हुए रेल सेवा में वापसी का आदेश पारित किया को आजमगढ़ स्टेशन पर पदस्थापित करना प्रस्तावित किया गया है।

इस पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)  
वाराणसी  
दिनांक-12.02.18

- संख्या-का/वा/पीसी/चन्द्रिका प्रसाद  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1.मवाप्र/वाराणसी
  - 2.मविप्र/वाराणसी
  - 3.कार्यालय आदेश पुस्तिका
  - 4.कार्याधी परिचालन बिल
  - 5.स्टेधी/मुवानि/पडरौना / आजमगढ़
  - 6.संबन्धित कर्मचारी
  - 7.मंडल मंत्री नरमू अजा/अजजा एसों.वाराणसी
  - 8.अन्य प्रति

  
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)  
वाराणसी